न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 63/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/ केम्प–बूंदी
दायरा दिनांक 7.8..2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

ओमप्रकाश आत्मज शोजी जाति गूर्जर निवासी पीपली वाली गली, लंकागेट रोड बूंदी तहसील व जिला बूंदी (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र नारायणीवाल अभिभाषक अपीलार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 12.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं. 224/अपील/2018 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 9.10.2019 के विरूद्ध न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय तहसीलदार बूंदी ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम अस्तोली के ख0 नं0 443 रकबा 0.16 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर फसल गैहूं काश्त करने व अपीलार्थी पश्चातवर्ती व आदतन अतिक्रमी की श्रेणी मे होने से प्रकरण सं0 297/2018 सरकार बनाम ओमप्रकाश मे दिनांक 9.3.2018 को निर्णय पारित कर 60/–रू0 शास्ति एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। तहसीलदार बूंदी के उक्त निर्णय को निरस्त करने हेतु अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे धारा 75 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9.10.2019 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट न्यायालय, जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.10.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव न्याय के सिद्धान्तों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलांट को दिनांक 18.2.2018 के लिये मुकाम हट्टीपुरा पर 10 बजे उपस्थित होने का नोटिस अपीलार्थी को व्यक्तिगत तामील नही हुआ था। घर पर परिवार के लोगो को मिला था अपीलार्थी दिनांक मुकाम हट्टीपुरा गया था लेकिन वहां 3 बजे तक भी न्यायालय की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। पटवारी हल्का से अपीलांट ने कहा था कि उसका कोई अतिक्रमण नही है। पत्रावली पर उक्त सारी कार्यवाही तहसील मे की गई जिसका कोई नोटिस अपीलार्थी को नही था। पटवारी के कब बयान लिये तिथी अंकित नही की गई। नोटिस मे भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी के वर्ष का कालम छूटा हुआ है। इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध नही है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान नही देकर जेरअपील निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा नही है। पटवारी हल्का के कहने पर अपीलांट ने बहुत पहले ही कब्जा छोड दिया था। पत्रावली 1460/17 का नोटिस भी अपीलार्थी को नही मिला है उसकी साक्ष्य तामील बावत प्रस्तुत नहीं की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रमाण के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर कानूनी एवं वाकयाती त्रुटि की है। अपीलांट ने भूमि पर से बहुत पहले ही कब्जा छोड दिया था तथा भविष्य मे किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नही करेगा यह अण्डर टेकिंग अपीलांट देता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 9.3.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नोटिस की तामील कराये बिना निर्णय पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। बहस मे यह भी बताया कि अपीलांट ने भूमि पर से बहुत पहले ही कब्जा छोड दिया था तथा भविष्य मे किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नही करेगा यह अण्डर टेकिंग अपीलांट देता है। उसका विवादित भूमि पर कब्जा नही है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। नोटिस मे पश्चातवर्ती होने का वर्ष कालम मे छूटा हुआ है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी जून 2008 पेज 367 आरआरडी–14.6.2009 पेज 359 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने तथा निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित नही है।

7 हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सरकारी भूमि किस्म गै.मु. रास्ता है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसी भूमिया आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट पटवारी हल्का से होती है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का साक्ष्य भी तहसीलदार बूंदी की पत्रावली सं0 1460/17 निर्णय दिनांक 29.8.17 से होता है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.3.2018 को हम उचित पाते है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्वरहण आरआरडी जून 2008 पेज 367 आरआरडी–14.6.2009 पेज 359 चस्पा नही होते है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 9.10.2019 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है।

8 परिणामस्वरूप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 12.2..2021 को केम्प कोर्ट बूंदी मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

12/2/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा